भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3688
12 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

कम कीमत वाले इस्पात आयात का घरेलू इस्पात उद्योग पर प्रभाव

3688. श्री इमरान मसूदः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू इस्पात उद्योग पर कम कीमत वाले इस्पात आयात के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार कच्चे माल की कमी की समस्या का समाधान किस प्रकार कर रही है और नए लौह अयस्क स्त्रोतों को प्राप्त करने और इस्पात के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों पर किस प्रकार जोर दे रही है;

(ग) वर्ष 2014 से विभिन्न देशों से वर्ष-वार कितनी मात्रा में इस्पात का आयात किया गया; और

(घ) विशेषकर चीन से इस्पात आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री एच. डी. कुमारास्वामी)

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों की मांग-आपूर्ति की गतिशीलता, वैश्विक बाजार की स्थितियों, कच्चे माल की कीमतों के रुझान, लॉजिस्टिक्स लागत आदि द्वारा निर्धारित होती हैं। सरकार ने विशेषकर चीन से इस्पात आयात पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) देश में 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित कर आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की शुरुआत करना।

(ii) घरेलू इस्पात उद्योग से जुड़े मामलों के समाधान के लिए आयात की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया और दिनांक 25.07.2024 को एसआईएमएस 2.0 शुरू किया गया।

(iii) सरकारी अधिप्राप्ति हेतु 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।

जारी.....2/-

(iv) कुछ इस्पात उत्पादों जैसे लोहे, मिश्रधातु या गैर-मिश्रधातु (कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील के अलावा) के सीमलेस ट्यूब पाइप और होलो प्रोफाइल (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड स्टील (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस-स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम व थाईलैंड से) से संबंधित पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) उपाय वर्तमान में लागू हैं।

(v) चीन और वियतनाम के वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

(vi) दिनांक 21 अप्रैल, 2025 से कुछ गैर-मिश्रधातु व मिश्रधातु इस्पात फ्लैट उत्पादों के आयात पर 200 दिनों के मूल्यानुसार 12% (बारह प्रतिशत) की दर से अनंतिम सुरक्षा शुल्क लगाना।

वर्ष 2014-15 से तैयार इस्पात के आयात का विवरण **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

घरेलू इस्पात उद्योग की वर्तमान मांग/खपत को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त लौह अयस्क भंडार है। आईबीएम और डीजीएफटी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 में लौह अयस्क का उत्पादन लगभग 289 मिलियन टन और निर्यात लगभग 23 मिलियन टन था, जबकि आयात 6.4 मिलियन टन था।

सरकार ने कच्चे माल की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए खनन और खनिज नीति सुधार, समाप्त हो चुके पट्टों वाली खदानों का शीघ्र आवंटन और प्रचालन, व्यापार की सुगमता, सभी वैध अधिकारों और अनुमोदनों का निर्बाध हस्तांतरण, खनन प्रचालन और प्रेषण शुरू करने के लिए प्रोत्साहन, खनन पट्टों का हस्तांतरण, कैप्टिव खदानों को उत्पादित खनिजों के 50 प्रतिशत तक बेचने की अनुमति, गवेषण संबंधी गतिविधियों को बढ़ाना आदि शामिल हैं।

सरकार ने नवंबर, 2019 में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति अधिसूचित की है। यह नीति विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

*****

अनुलग्नक

वित्त वर्ष	तैयार इस्पात का आयात '000 टन में
2014-15	9,320
2015-16	11,712
2016-17	7,224
2017-18	7,438
2018-19	7,835
2019-20	6,768
2020-21	4,752
2021-22	4,669
2022-23	6,022
2023-24	8,320
2024-25	9,551